न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ब्रांच रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 1692-II-15

116
27.4.15

काशी प्रसाद तनय स्व0 जमुना प्रसाद काछी उम्र-56 वर्ष, पेशा - खेती निवासी ग्राम वेलवा पैकान तहसील मनंगवां जिला रीवा (म0प्र0)

----------निगरानीकर्ता

बनाम्

1. बेबा गिरजावती पति स्व0 जमुना प्रसाद काछी
2. कौशल प्रसाद पिता स्व0 जमुना प्रसाद काछी
3. रामनिवास पिता स्व0 जमुना प्रसाद काछी
4. विजय पिता स्व0 जमुना प्रसाद काछी
5. सन्तोष पिता जमुना प्रसाद काछी
6. बेबा ममता पति स्व0 रामनिवास काछी
7. साधना पिता स्व0 रामनिवास काछी
8. सावित्री पिता स्व0 रामनिवास काछी

सभी निवासी ग्राम वेलवा पैकान तहसील मनगवां जिला रीवा (म0प्र0)

--------गैरनिगरानीकर्ता

श्री राजकुमार सिंह एड. के द्वारा आज 27.4.15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा
क्रमांक 5425
रजिस्टर्ड पोस्ट ... आज
दिनांक ... प्राप्त
रीडर 26.5.15
राजस्व मण्डल, ग्वालियर

निगरानी बिरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय मनगवां जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक - 16अ6अ/2013-14 आदेश दिनांक 26/3/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0।

मान्यवर,

- **मामले के तथ्य :-**

यह कि निगराकार के पिता द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर के नामान्तरण पंजी क्रमांक-60 निर्णय दिनांक 24/12/84 मे पारित नामान्तरण आदेश के पालन का आदेश राजस्व प्रकरण क्रमांक 14अ6अ निर्णय दिनांक 4/6/2010 जो तहसीलदार द्वारा पारित किया गया था जिसके खिलाफ अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी तथा साथ में अपील प्रस्तुत करने मे हुये बिलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया था, अधीनस्थ न्यायालय ने गैर निगराकार की तरफ से प्रस्तुत किये गये अपील प्रस्तुत करने मे हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् प्रस्तुत आवेदन पत्र सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26/3/2014 को आदेश पारित

काशी प्रसाद कुशवाहा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-1692/दो/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश काशीप्रसाद/गिरिजावती	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4 –1–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मनमोहन तिवारी उपस्थित । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया, एवं निगरानी मेमो के संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 26.3.15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 16/अ–6–अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26.3.15 से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के आवेदन पत्र को स्वीकार कर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया। जिसके विरूद्ध यह निगरानी निगराकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण दोष पर कोई आदेश पारित न करते हुए मात्र धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए जाने हेतु प्रकरण नियत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आक्षेपित आदेश से वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने की कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है, साथ ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध है, जहां उभयपक्ष अपना–अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 26.3.15 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि न होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	